


22/11/19

2016
506
आसीन

वकील कादी उषा प्रति कादी उषा की तक्रार
 शिफ्ट एक ए.डी तक्रार के लिए हेतु वकील
 कादी को दि. 11/9/17, 20/7/18, 25/9/19 को
 न्यायालय में अग्रिम अपील दिखे गये तथा
 दि. 15/11/19 को एक और अग्रिम अपील
 दिखे जाने के उपरान्त भी तक्रार हेतु तक्रार
 प्रेषण की किन्तु अतः वाद कादी अन्तर्गत
 धारा 89 R.O.S CPC के तहत अदालत वकील
 Non-Compliance में खारिज किया जाता
 है पण वकील मन्त्र से कहें होकर वाद तक्रार
 दायित्व दायता ही सुनिश्चित


 सहायक कलक्टर
 अलवर